(87)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1233–पीबीआर/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–4–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 20/अपील/2004–05

1–शंकरलाल पिता पन्नालाल मारू
2–हीरा मारू पिता रमा मारू (मृतक)
निवासीगण ग्राम बरमण्डल तहसील सरदारपुर
जिला धार

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–रामचन्द्र पिता पन्नालाल मारू
2–लक्ष्मण पिता भगवान मारू
3–मूलचन्द पिता पूना मारू
4–नारायण प्रसाद पिता पन्नालाल मारू
5–बगदीराम पिता हीरा मारू
6–रामनारायण पिता हीरा मारू
निवासीगण ग्राम बरमण्डल तहसील सरदारपुर जिला धार .....अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/5/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–4–07 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बरमण्डल, तहसील सरदारपुर जिला धार स्थित कृषि भूमि खाता कमांक 694 खसरा कमांक 417, 428, 429, 430, 432, 433, 435, 450, 1154, 1155, 1156, 1939 एवं 1941, 13 किता, कुल क्षेत्रफल 9.238 हेक्टेयर, वर्ष 1998–99 के राजस्व अभिलेखों में उभयपक्ष के नाम से भूमिस्वामी स्वत्व में अंकित थी। उक्त अभिलिखित सहभूमिस्वामी गण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के बटवारे के लिये संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत तहसीलदार के समक्ष दिनांक 2–6–1999 को एक संयुक्त आवेदन

पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–6–1999 को आदेश पारित कर बटवारा किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक कमांक 1 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–8–2004 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23–4–2007 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा की गई बटवारे की कार्यवाही पूर्णतः विचाराधिकार के बाहर है क्योंकि आवेदक कमांक 2 की भूमि जिसका एकमात्र भूमिस्वामीहै, बटवारे में अनावेदक कमांक 5 एवं 6 का हिस्सा दर्शाते हुये उनके नाम कर दी गई जबकि अनावेदक कमांक 5 एवं 6 सहखातेदार नहीं थे इसलिये ऐसे आदेश को स्थिर रखना न्यायोचित नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा उद्घोषणा का विधिवत् प्रकाशन नहीं किया गया यह तथ्य अपर आयुक्त ने स्वीकार नहीं किया व उद्घोषणा पर न तो दिनांक अंकित है और न ही प्रकाशन की कोई टीप अंकित है । यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि बटवारे की कार्यवाही तहसील न्यायालय द्वारा अत्यन्त जल्दबाजी में की गई है । तहसील न्यायालय द्वारा बंटवारा संहिता की धारा 178 तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन किया गया है । नियम 6 के अनुसार बटवारा कर सहखातेदारों को अपनी आपत्तियॉ करने का कोई अवसर नहीं दिया गया । ऐसा बटवारा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं था । परन्तु अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश स्थिर रखने में त्रुटि की गई । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिवत् एवं न्यायसंगत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश दिनांक 30–6–1999 द्वारा अनावेदकगण कमांक 5 बगदीराम व 6 रामनारायण को भी प्रश्नाधीन बटवारे में हिस्सा दिया गया है, जबकि आवेदक कमांक 2 हीरा का नाम प्रश्नाधीन भूमि के वर्ष 1998–99 के राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित सहभूमिस्वामी के रूप में अंकित था, इसलिये उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिस अनावेदक कमांक 5 व 6 ही उसके हिस्से के हकदार होंगे । प्रश्नाधीन खाते में हीरा के हिस्से की भूमि को उसकी सहमति से प्रश्नाधीन बटवारे के माध्यम से उसके पुत्रों अनावेदक कमांक 5 व 6 के हिस्से में दिया गया है जो संहिता की धारा 178–क के प्रावधानों के अनुरूप है इसलिये तहसीलदार द्वारा आलोच्य बटवारा आदेश दिनांक 30–6–1999 द्वारा आवेदक हीरा के हिस्से की भूमि को उसके पुत्र अनावेदक कमांक 5 व 6 को आवंटित किये जाने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । तहसीलदार द्वारा मात्र अपने आदेश में संहिता की धारा 178 का उल्लेख किया गया है तथा संहिता की धारा 178–क का उल्लेख नहीं किया गया है अतः संहिता की धारा 178–क का उल्लेख नहीं होने मात्र से तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक नहीं हो जाता है । इसलिये अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के न्यायसंगत आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक दृष्टि से उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–4–07 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर